कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015

ईएसआईसी
चिंता से मुक्ति

सत्यमेव जयते

निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली
DIRECTORATE (MEDICAL) DELHI
क.रा.बी.नि. औषधालय सह निदान केन्द्र परिसर, मयूर विहार
फेज़-1, नई दिल्ली- 110091
ESIC DISPENSARY-CUM- DIAGNOSTIC CENTRE COMPLEX,
MAYUR VIHAR PHASE-I, NEW DELHI- 110091
E-mail ID: dir-med.dl@esic.nic.in

111/F/24/13/4/2018/INCOMETAX/CASHBRANCH(M)-Part(1) Dated: 23-01-2026

परिपत्र

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत निवेश / बचत के प्रमाण प्रस्तुत करने के संबंध में।

निर्देशालय (चिकित्सा) दिल्ली, निर्देशालय परिवार कल्याण, केंद्रीय भंडार एवं समस्त औषधालयों में कार्यरत सभी अधिकारीगण / कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुना गया है, वे अपने निवेश / बचत से संबंधित प्रमाण अनिवार्य रूप से दिनांक 30 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत करें।

निवेश / बचत के प्रमाण 02 प्रतियों में संबंधित रोकड़ शाखा / पेंशन शाखा में जमा कराए जाएँ, ताकि आयकर की सही गणना की जा सके।

निर्धारित तिथि तक निवेश / बचत का प्रमाण प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित कर्मचारी द्वारा किसी भी धारा के अंतर्गत कोई पात्र बचत नहीं की गई है, तथा आयकर की कटौती नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के अनुसार की जाएगी, जिसके लिए कोई पृथक सूचना जारी नहीं की जाएगी।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
Rajender Parsad
Date: 23-01-2026
15:49:22

अ[illegible] एवं [illegible] अधिकारी
रोकड़ शाखा

प्रतिलिपि:-

1. निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/परिवार कल्याण/केंद्रीय भंडार/औषधालयों के समस्त अधिकारियों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को अपने अधीन कार्यरत सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. सूचना पट।
3. ओएसडी, आई.टी. सेल (चि.) से अनुरोध है कि परिपत्र को निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली की वेबसाइट पर अपलोड करें।